

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प कोलायत

क्र.सं. 151

आदेश :-

दि. 18/3/19

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नोखड़ा व भू. अ. नि. ..
दिवातरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत / नायब तहसीलदार की
 अनुशाषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मोठिया
 तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075
 में खाता संख्या 139 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मोठिया	139	ख.सं. रकबा कित्त लजान 465 2.9500 बी.3 2.95 295 01 2.9500 बी.3 2.95	ख.सं. रकबा कित्त लजान 512 0.5500 बी.3 0.55 295 513 2.4000 बी.3 2.40 295 02 2.9500 बी.3 2.95

(
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 कोलायत जिलाधिकारी
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर
 दिनांक :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
 शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. संकेत पत्रावली।

(
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 कोलायत जिलाधिकारी
 लोक अदालत